उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

Mutation Revision Case No.-25/2022

पार्वती देवी

—बनाम—

मथुरा प्रसाद

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

10/07/24

प्रस्तुत मामला अपीलार्थी पार्वती देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग के द्वारा अपील दाखिल खारिज वाद संख्या—33/2014—15 मथुरा प्रसाद—बनाम—राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.11.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन वाद दायर है।

विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग द्वारा दिनांक 18.11.2021 को पारित आदेश निम्नवत है:—

" मौजा—जबरा, थाना नं0— 154, खाता नं०— 52, प्लॉट नं०— 218, सकवा— 0.08 एकड़ भूमि का अंचल अधिकारी, सदर के दाखिल खारिज वाद संख्या 2887/2014—15 में दिनांक 07/02/2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन की सुनवाई पुनः की गई। आवेदक मथुरा प्रसाद द्वारा समर्पित आवेदन पर दिनांक 28.10.2021 को सुनवाई हेतु 18.11.2021 तिथि निर्धारित की गई। उक्त निर्धारित तिथि को मथुरा प्रसाद द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि का स्वत्व वाद संख्या—161/2016, माननीय व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या—161/2016 विचाराधीन होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय व्यवहार न्यायालय से कोई निर्णय होने तक प्रश्नगत भूमि का कायम जमाबंदी को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। इस के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।"

अतः मामले में विभिन्न तिथियों को की गयी सुनवाई एवं विवेचनोपरान्त इस पूरे मामले में उभय पक्षों के बीच विवाद को दृष्टिपथ रखते हुए सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व के बिन्दु पर निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्ष मामले में माननीय व्यवहार न्यायालय में दायर स्वत्व वाद में आगे पहल करने हेतु स्वतंत्र हैं।

इसके साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.24 18:15:53 +05:30
Location: 192.168.1.16

लेखापित एवं संशोधित

10/7/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

10/7/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग